

प्रेम,

शिव प्रवेश पुस्तक,
संयुक्त संग्रह,
उत्तर प्रदेश प्रकाशक 1

①

के मा. प्रे,

2930/15-07-2005-16(26)/2005

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा कन्द्र - संयुक्त केंद्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा (2) अनुभाग

कार्यसूची क्रमांक:


तारीख, 13, 2005

विषय :- श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल श्री नारायण आश्रम शिवकुटी, इलाहाबाद का सीबीसीईए सर्टिफिकेट नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु मुझे यह कहना कि निदेश दिया है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सीबीसीईए सर्टिफिकेट नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिया जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आगेंना नहीं है। विषय

- (1) विद्यालय को संबन्धित सीआरटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- (2) विद्यालय की प्रत्येक संघीय में शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के पेशवाई वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए अनारक्षित विद्यालयों में स्थानों काटने के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किमी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वीसक शिक्षा परिषद/कोई अन्य फंड दि इम्प्लिमेंट स्कूल सर्टिफिकेट इन कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष में उक्त केन्द्रीय परिषद की संबन्धित प्राप्त होने की विधि से उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रकृत प्रत्येक तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के अतिरिक्त एक शिक्षाभेदार कर्मचारियों का सहाय्य संबन्धित प्राप्त विद्यालय संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित जनजातों तथा अन्य भर्तियों से कम वेतन प्राप्त काम करने भली नहीं दिये जायेगा।


Manager

Shri Mahaprabhu Public School
Shri Narain Asram, Shive Kut
Allahabad



Principal
Shree Mahaprabhu Public School
Narayan Ashram
Shivkuti, Allahabad

- (6) कर्मचारियों को वेतन शर्तों बनाये जायगी और उन्हें सहायता प्राप्त अन्तर्गत उच्चतर माध्यम विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायगा ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का विचार विमोक्त प्रकाश पत्र चलाना में रखा जायगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायगा ।


उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किये समय का पता जाता है कि संस्था उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया तो रखा है अपना पालन करने में किसी प्रकार की कृपा या विशेषता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्तर्गत प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायगा ।


आचार्य,
/ (शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।


पुस्तिका-2930/15-7-2007 संशुद्धि-संकेत

प्रतिबंधित निम्नलिखित संस्थाओं में अनिवार्य रूप से आवश्यक कर्मचारियों हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ।
- 2- मध्यम माध्यम शिक्षा विभाग, इलाहाबाद ।
- 3- जिला शिक्षा विभाग, इलाहाबाद ।
- 4- निरीक्षक, मा. उ. माध्यम विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार ।
- 5- प्रबंधक, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल श्री नारायण आश्रम शिवकुटी, इलाहाबाद ।
- 6- सार्ड मुक्त ।


Principal
Shree Mahaprabhu Public School
Narayan Ashram
Shivkuti, Allahabad

आचार्य,

(शिव प्रकाश गुप्त)
संयुक्त सचिव ।


Manager
Shri Mahaprabhu Public School
Shri Narain Ashram, Shive Kuti
Allahabad